

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 97/2024 जी0सी0एम0एम0 संख्या 2024/174

1. ज्ञानचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर
हाल निवासी 675/41 अम्बिका कॉलोनी तीसरी गली, बिहारीगंज अजमेर जिला
अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थित:- श्री प्रवीण प्रकाश भट्ट प्रार्थी अधिवक्ता
पैरोकार सरकार


निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 21.05.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम भिनाय पटवार हल्का भिनाय, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 1844 में दर्ज खसरा संख्या 8216/4157 रकबा 0.20 है0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने-जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने-ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. 4149 रकबा 0.54 हैक्ट0 किस्म बारानी-3 का वर्षों से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें हैं जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौड़ा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को जरिये नोटिस प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक भूमि खसरा संख्या 4149 किस्म बारानी 3 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत की गई। प्रकरण में जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश होने पर, प्राप्त जवाब मय मौका रिपोर्ट की एक प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करायी गई तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 नियत की गई।




उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

पत्रावली में बहस प्रार्थना-पत्र धारा 251ए सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय समक्ष निवेदन किया गया कि ग्राम भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 8216/4157 रकबा 0.20 है0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने-जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने-ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. 4149 रकबा 0.54 हैक्ट0 किस्म बारानी-3 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम तथा उपयुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजीयात से चाहा गया रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार द्वारा जवाब मय रिपोर्ट अनुसार कथन किये गये। तत्पश्चात पैरोकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 8216/4157 रकबा 0.20 है0 में जाने हेतु रास्ता सिवायचकन खसरा नं. 4149 किस्म बारानी-3 में से होकर ही जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रकरण में 82 मीटर लम्बा तथा 05 मीटर चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिस पर प्रार्थी द्वारा सहमति प्रकट की गई। पैरोकार सरकार द्वारा आगे निवेदन किया गया कि, प्रार्थी की भूमि पर आने-जाने के लिए मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त, प्रतिबन्धित श्रेणी का नहीं होना, तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 तथा तहसीलदार भिनाय से प्राप्त जवाब मय मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, बहस पत्रावली पर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन तथा बहस में अवगत कराया है कि यह रास्ता वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि पर आने-जाने के लिए मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अपने प्रतिवेदन तथा दौराने बहस तहसीलदार भिनाय द्वारा बताया गया है कि, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त, प्रतिबन्धित श्रेणी का नहीं होना तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः बाद अवलोकन तथा मनन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 251ए अनुतोष होने से स्वीकार किया जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दुगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा ग्राम भिनाय की डी.एल.सी. दर 3,23,089/- रु.



उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रति हैक्टियर बताई गई है। अतः खसरा नं. 4149 में से 410 वर्ग मीटर (82 मीटर लम्बा व 05 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 32.31 रु. प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी राशि 26,494 /- रु मुकर्रर की जाती हैं। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थी खातेदार के लिए ग्राम भिनाय पटवार हल्का भिनाय, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 4149 में से 410 वर्ग मीटर भूमि से, प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 8216/4157 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शों में आदेश में वर्णित रास्ते की नियमानुसार तरमीम कर इस खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार झिंगोनिया)
 उपखण्ड अधिकारी
 भिनाय
 भिनाय (भुजमेर)